संख्या-10/2019/48/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 11 जनवरी 2019

विषय:- **रिट याचिका सं0-55036/2013 श्री सत्या इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट मुरादाबाद के अन्तर्गत पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-01-2016 स्पेशल अपील डिफेक्टिव सं0-340/2017 उ0प्र0 राज्य व श्री सत्या इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, मुरादाबाद तथा अवमाननावद सं0-6181/2016 श्री सत्या इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट मुरादाबाद बनाम श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह निदेशक समाज कल्याण में पारित आदेश दिनांक 29-11-2018 के अनुपालन हेतु याची संस्था की वर्ष 2010-11 की शुल्क प्रतिपूर्ति की लम्बित धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3253/स.क./ शिक्षा-अ/2/224/2018-19, दिनाक-28.12.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त याची संस्था श्री सत्या इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, मुरादाबाद के वर्ष 2010-11 में अध्ययन प्राप्त छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की लम्बित **धनराशि रू0-24.408 लाख (रू0-चौबीस लाख चालीस हजार आठ सौ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0-37800.00 लाख से व्यय/भुगतान की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कुल व्यय को बजट प्राविधान के अन्तर्गत रखा जाना सुनिश्चित करेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-10/2019/48(1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।